प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन
मर्यादित, जबलपुर म.प्र. फोन – 0761–2624195
ई–मेल–dfotjbp@rediffmail.com

अधि.क्र./......./......./2012/ भोपाल, दिनांक /01/2012

मनेरी (जिला मण्डला) में स्थापित लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु

निविदा–सूचना

अनुभवी व्यक्तियो / कंपनी/पंजीकृत संस्थाओं या फर्मो से जिला वनोपज यूनियन जबलपुर द्वारा जबलपुर के पास औद्यागिक क्षेत्र, मनेरी में स्थापित लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र को लीज पर संचालन के लिये देने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं दिनांक 01.02.2012 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। तकनीकी निविदायें उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे खोली जावेंगी।

निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत निविदा शर्तें आदि दिनांक 16.01.2012 से कार्यालयीन समय में प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन के नाम पर एवं जबलपुर में देय राशि रू. 500/– का डी.डी./बैंकर्स चेक द्वारा या नगद भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती है अथवा वेब–साईट www.mfpfederation.com से डाउन लोड की जा सकती है।

प्रबंध संचालक

प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जबलपुर
फोन – 0761–2624195 फैक्स 0761–2625688 ई–मेल–dfotjbp@rediffmail.com

अधि.क्र. / ..... / ..... / 2012 /   जबलपुर, दिनांक   /   /2012

निविदा मूल्य रू. 500/–

औद्योगिक क्षेत्र, मनेरी (जिला मण्डला) में स्थापित ''लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र'' के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु निविदा सूचना

प्राक्कथन

मध्य प्रदेश शासन के सहकारी उपक्रम मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के अंतर्गत कार्यरत जिला वनोपज सहकारी यूनियन जबलपुर द्वारा जबलपुर के निकट मनेरी औद्योगिक क्षेत्र में लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किया गया है । इस केन्द्र में बेल फल से ज्यूस, महुआ बीज से तेल निकालने आदि की मशीनों की स्थापना की गई है एवं भण्डारण हेतु गोदाम निर्मित किये गये है ।

उक्त ''प्रसंस्करण'' केन्द्र को लीज रेंट आधार पर संचालन के लिए लघु वनोपजों के प्रसंस्करण या आयुर्वेदिक/फार्मास्युटिकल उत्पादों के उत्पादन का अनुभव रखने वाले इच्छुक व्यक्ति/कंपनी/पंजीकृत संस्था या फर्म को दिया जाना है जिस हेतु इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत संस्थाओं या फर्मो/ कंपनियों से मोहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं।

2. **अर्हतायें**

निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या कंपनी/पंजीकृत संस्था या फर्म को लघु वनोपजों के प्रसंस्करण या आयुर्वेदिक दवाओं/ फार्मास्युटिकल उत्पादों के उत्पादक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ।

3. **परिभाषाऐं**

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) ''संघ'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित से है।

(ii) ''वन अधिनियम'' से अभिप्राय, भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वनोपज अधिनियम से तात्पर्य म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1966 से है।

(iii) ''प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ'' से तात्पर्य प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित से है।

(iv) ''जिला यूनियन'' से अभिप्राय, म.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1960 (क्रमांक–17 वर्ष1961) के अधीन पंजीकृत जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जबलपुर जो संघ की सदस्य है, से है।

(v) ''प्रसंस्करण केन्दं'' से तात्पर्य जबलपुर के पास मनेरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र के खुले एवं आच्छादित स्थान से है ।

(vi) ''प्रबंध संचालक, जिला यूनियन'' से अभिप्राय, वनमंडलाधिकारी जबलपुर क्षेत्रीय वनमंडल से है जो जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जबलपुर के पदेन प्रबंध संचालक भी हैं।

(vii) ''लीजदाता'' से तात्पर्य प्रबंध संचालक जिला यूनियन से है ।

(viii) ''लीजग्रहीता'' से अभिप्राय, सफल निविदाकार के रूप में प्रसंस्करण केन्द्र के संचालन के लिए नियुक्त व्यक्ति/संस्था/कंपनी/फर्म से है।

(ix) ''लीज रेंट'' से अभिप्राय, संबंधित प्रसंस्करण केन्द्र के लीज पर दिये गये मासिक किराये से है जिसमें कोई भी देय कर या प्रभार शामिल नहीं है ।

(x) ''निविदाकार'' से तात्पर्य, उस व्यक्ति/संस्था/कंपनी/फर्म से है जो इन निबंधनों तथा शर्तो के अधीन प्रसंस्करण केन्द्र के संचालन के लिए निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे।

4. प्रसंस्करण केन्द्र का अवलोकन

1. सभी इच्छुक निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे यदि चाहें तो दिनांक 23.01.2012 से कार्यालयीन समय में प्रसंस्करण केन्द्र में स्थापित मशीनों तथा निर्मित भवन आदि की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं । निविदा देने के बाद इस संबंध में कोई भी आपत्ति या विवाद मान्य नहीं होगा ।

2. निविदा की किसी शर्त के संबंध में यदि कोई संशय है जिसका निराकरण करना आवश्यक हो या प्रसंस्करण केन्द्र के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो इच्छुक निविदाकार उसे प्रबंध संचालक जिला यूनियन या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से दिनांक 16.01.2012 से कार्यालयीन समय में या दूरभाष क्रं. 0761–2624195 पर चर्चा कर प्राप्त कर सकते हैं ।

5. करार अवधि

(i) करार अवधि करारनामा निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष तक के लिए होगी ।

(ii) करार अवधि में वृद्धि इस निविदा सूचना की शर्त क्रं – 14 के अध्यधीन की जा सकेगी ।

6. निविदा पत्र प्राप्त करना तथा जमा करना–

(i) निविदा सूचना, तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पत्र, निविदाकार का करारनामा तथा अन्य प्रपत्र प्रबंध संचालक, वनोपज यूनियन, के कार्यालय से रू. 500/– नगद या किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन जबलपुर के नाम पर जबलपुर में देय हो, के माध्यम से भुगतान कर दिनांक 16.01.2012 से प्राप्त किया जा सकता है ।

(ii) निविदा पत्र, निविदाकार का करारनामा एवं अन्य प्रपत्र संघ की वेबसाईट www.mfpfederation.com से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। उपरोक्त रीति द्वारा प्राप्त निविदा पत्र जिसे इसके बाद डाउनलोडेड निविदा कहा गया है, में निविदा प्रस्तुत करने पर उसके साथ रू. 500/– का किसी भी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो कि ''प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जबलपुर'' के पक्ष में जबलपुर में देय हो, संलग्न करना होगा।

(iii) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ परिशिष्ट III में दर्शाया निविदाकार का करारनामा प्राप्त कर लिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है। यह ध्यान रखें कि सम्यक रूप में निष्पादित निविदाकार के करारनामे के बिना निविदा अवैध घोषित कर दी जावेगी।

(iv) निविदाकार को परिशिष्ट–II में तकनीकी निविदा भरना है। निविदाकार को सत्यंकार राशि का डिमांड ड्राफ्ट एवं निविदाकार का करारनामा तकनीकी निविदा के साथ सीलबंद लिफाफे में रखना होगा जिस पर तकनीकी निविदा अंकित करना होगा।

वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–IV में भरकर पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर ''वित्तीय निविदा'' अंकित किया जाये तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के इन दोनों लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में रखकर सील बंद कर उस पर ''मनेरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु निविदा'' लिखा जावेगा ।

(v) वित्तीय निविदा में मासिक लीज रेंट की वह राशि दर्शाई जावेगी जो निविदाकार प्रसंस्करण केन्द्र के संचालन हेतु करारनामे के प्रथम वर्ष में प्रति माह देगा । प्रथम वर्ष की समाप्ति के उपरांत द्वितीय वर्ष हेतु इस लीज रेंट की राशि में 20 (बीस) प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी तथा द्वितीय वर्ष में इस प्रकार बढ़ी हुई राशि लीज रेंट के रूप में प्रति माह देय होगी । दूसरे वर्ष की समाप्ति पर तीसरे वर्ष हेतु द्वितीय वर्ष के लीज रेंट की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी एवं इस प्रकार बढ़ी हुई लीज रेंट की राशि की वसूली निविदाकार से तीसरे वर्ष में प्रति माह की जावेगी । रूपये के भाग को आगे के पूर्णांक के बराबर किया जावेगा।

7. परिशिष्ट

परिशिष्ट I से V जो कि संघ की इस अधिसूचना के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनो के लिए इस निविदा सूचना के भाग हैं। अतः निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट I से V को ध्यान से पढकर व संबंधित प्रसंस्करण केन्द्र की स्थिति को देखकर निविदाकार के रूप में भाग लें।

8. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि–

(i) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, संबंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कंपनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में।

(ii) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा।

(iii) अवयस्क, दिवालिया, अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्ति/व्यक्तियों आदि द्वारा प्रस्तुत निविदाऐं अवैध मानी जावेंगी।

(iv) संघ या किसी भी जिला वनोपज सहकारी यूनियन के पदाधिकारी/कर्मचारी एवं उनके आश्रित निविदा देने के पात्र नहीं है।

9. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण –

(i) सभी दृष्टियों में पूर्ण तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग अलग लिफाफों में रखकर सीलबंद किये जावेंगे । इन लिफाफों के ऊपर क्रमशः ''तकनीकी निविदा'' या ''वित्तीय निविदा'' जैसा कि हो, लिखा जावेगा । साथ ही प्रत्येक लिफाफे पर निविदाकार का नाम व पता लिखा जावेगा ।

(ii) ये दोनों लिफाफे एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखे जावेंगे :–
''प्रसंस्करण केन्द्र मनेरी के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु निविदा''

(निविदा अधिूसचना क्र./......../2012 जबलपुर, दिनांक 2012
प्रति,
वन मण्डलाधिकारी एवं पदेन
प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी यूनियन
एल्गिन अस्पताल के सामने, स्टेशन रोड,
जबलपुर (म.प्र.)

प्रेषक,
निविदाकार का नाम – ....
पता – ....

(iii) निविदा पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन जबलपुर के कार्यालय को इस हेतु अधिकृत व्यक्ति को सम्यक अभिस्वीकृति प्राप्त करके इस प्रकार दिया जा सकेगा या पावती पंजीकृत डाक द्वारा इस प्रकार भेजा जा सकता है ताकि वह दिनांक01.02.2012 को 3:00 बजे अपरान्ह तक जिला यूनियन के कार्यालय में प्राप्त हो जावे। उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं की जावेंगी ।

10. सत्यंकार की राशि–

(i) प्रत्येक निविदा के साथ सत्यंकार की राशि रू. 20,000/– (रू.बीस हजार) किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि **प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन** के पक्ष में **जबलपुर** में देय हो, जमा की जावेगी।

(ii) निविदा परिणाम घोषित होने के उपरांत असफल निविदाकारों की सत्यंकार राशि वापस कर दी जावेगी।

11. निविदाओं का खोला जाना–

(i) निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा को दिनांक 0102.2012 को अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष जिला यूनियन कार्यालय में खोला जावेगा। सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी निविदायें नियत दिनांक को खोली जायेगी।

(ii) तकनीकी निविदाओं के परीक्षण हेतु प्रबंध संचालक जिला यूनियन जबलपुर द्वारा एक समिति गठित की जावेगी। समिति चाहे तो किसी जानकारी या स्पष्टीकरण हेतु संबंधित निविदाकार को चर्चा हेतु आमंत्रित कर सकेगी । केवल तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई गई निविदाओं के निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 08.02.2012 को अपरान्ह 3:00 बजे खोली जावेंगी। तकनीकी रूप से उपयुक्त नही पाई गई निविदाओं के साथ प्रस्तुत सत्यकार राशि सम्बधित निविदाकारों को वापस कर दी जायेगी।

(iii) यदि कोई निविदाकार निविदा के खुलने के समय कोई कदाचार करता है या शांति बनाये रखने में बाधा डालता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित कर दी जायेगी; जिला यूनियन को हुई हानि उससे वसूली योग्य होगी और उसे तीन वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

12. सफल निविदाकार से करारनामा का निष्पादन–

(i) सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति की सूचना जिला यूनियन द्वारा जारी किये जाने की तिथि से संबंधित प्रसंस्करण केन्द्र के संचालन की संविदा सफल निविदाकार और जिला यूनियन के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार संबंधित बिक्री केन्द्र का लीज ग्रहीता माना जावेगा।

(ii) सफल निविदाकार को उसके प्रस्ताव की जिला यूनियन द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 15 दिनों के अंदर कंडिका (13) में निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप जमा करते हुये परिशिष्ट–V में दिये गये प्रपत्र में प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन जबलपुर के साथ करारनामा निष्पादित करना होगा।

(iii) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में लीजग्रहीता की नियुक्ति प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन जबलपुर द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर निविदा के साथ जमा सत्यंकार की राशि अधिहरित कर

ली जावेगी और निविदाकार को ऐसी अवधि के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो तीन वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त सफल निविदाकार की नियुक्ति के इस प्रकार निरस्त किये जाने के फलस्वरूप संचालक पश्चातवर्ती नियुक्ति पर जिला यूनियन को हुई हानि, यदि कोई हो, को सफल निविदाकार को वहन करना होगी और यदि ऐसी हानि की रकम सफल निविदाकार के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के एक सप्ताह के अंदर जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू–राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चातवर्ती नियुक्ति पर पूर्व लीज रेंट से अधिक राशि प्राप्त होती है, तो सफल निविदाकार का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

(iv) यदि सफल निविदाकार करारनामा किये जाने की समय सीमा में वृद्धि चाहता है तो उसे इस हेतु एक आवेदन प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन जबलपुर को समय वृद्धि शुल्क के रूप में रू. 5000/– (पांच हजार) की राशि ''प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन जबलपुर'' के नाम से जबलपुर में देय बैंक ड्राफ्ट /डिमांड ड्राफ्ट के रूप मे संलग्न करते हुये देना होगा जिसमें अवधि वृद्धि किये जाने का कारण बतलाना होगा। प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन इस आवेदन पर विचार कर करारनामा किये जाने की अवधि को पूर्व अवधि से आगे और 15 दिनों तक बढ़ा सकेंगे, परन्तु ऐसा करने हेतु वे बाध्य नहीं हैं।

13. प्रतिभूति निक्षेप–

(i) करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले करारनामा के निबंधनों तथा शर्तो के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को 6 माह के लीज रेंट के समतुल्य राशि बैंक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी जो प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन जबलपुर के नाम से जबलपुर में देय हो।

(ii) सफल निविदाकार के द्वारा निविदा के साथ जमा सत्यंकार राशि, प्रतिभूति निक्षेप की राशि हेतु समायोजित की जा सकेगी।

(iii) सफल निविदाकार के द्वारा जमा प्रतिभूति निक्षेप या उसके भाग, की राशि लीज़ करारनामा अवधि की सफल पूर्णता के उपरान्त वापस कर दी जावेगी।

14. करार अवधि में वृद्धि –

(i) सफल निविदाकार के साथ करार की अवधि करारनामा निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष तक है। प्रसंस्करण केन्द्र के लीजग्रहीता के द्वारा इस प्रकार के आवेदन कि वह तत्समय के लीज रेंट में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस करारनामे की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि चाहता है, प्रबंध संचालक जिला यूनियन के माध्यम से प्रस्तुत करने पर प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ तत्समय के लीज रेंट में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए करार अवधि में एक वर्ष कीं वृद्धि कर सकेंगे, परंतु ऐसा करना प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ के लिये अनिवार्य नहीं है।

(ii) लीज अवधि की एक बार वृद्धि के पश्चात बाद के वर्षो के लिये भी अवधि वृद्धि हेतु यही प्रक्रिया अपनाई जावेगी। प्रत्येक वर्ष तत्समय के लीज रेंट में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी, परंतु ऐसा करना प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ के लिये कभी भी अनिवार्य नहीं है।

15. आवास सुविधा आदि –

म. प्र. राज्य लघु वनोपज संघ नियुक्त लीज ग्रहीता को अथवा उनके कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान नहीं करेगा।

16. देय लीज रेंट का भुगतान –

(i) नियुक्त लीज ग्रहीता देय मासिक लीज रेंट का भुगतान लीज धारक के करारनामे की शर्त क्रमांक 1 (II) के अनुसार अग्रिम रूप से उस माह की 10 तारीख तक प्रबन्ध संचालक जिला यूनियन को करेगा।

(ii) लीजग्रहीता के लिखित अनुरोध पर प्रबंध संचालक, वनोपज यूनियन जबलपुर द्वारा लीज रेंट की भुगतान तिथि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा । ऐसे अनुरोध पर, प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा इस प्रकार समयावधि में वृद्धि किये जाने पर, सफल निविदाकार को प्रत्येक बढ़े हुये दिन हेतु देय बकाया लीज रेंट का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज देना होगा।

(iii) यदि लीजग्रहीता द्वारा किसी भी समय आगामी 6 (छः) माहों या उससे अधिक माहों हेतु लीज रेंट का समस्त देय करों सहित अग्रिम भुगतान किया जाता है तो जमा किये जा रहे अग्रिम लीज रेंट की राशि पर 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

17. करारनामे का हस्तांतरण–

नियुक्त लीज ग्रहीता प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह वार्षिक लीज रेंट की राशि की 20 प्रतिशत राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में भोपाल में देय हो, के माध्यम से भुगतान के साथ हस्तांतरण आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति के साथ प्रस्तुत किया जाये।

ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण गृहिता जिला यूनियन कार्यालय में संबंधित प्रसंस्करण केन्द्र हेतु लीजधारक का करारनामा, प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमाकर निष्पादित नहीं कर देता है।

18. लीजग्रहीता द्वारा सबलीज देने पर प्रतिबंध–

केवल निविदा सूचना की शर्त क्रमांक–17 के अतिरिक्त लीजग्रहिता परिसर और/अथवा भवन को किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति या फर्म या विधिक संस्थान को कार्य करने अथवा उपयोग करने हेतु सब लीज पर या अन्यथा नहीं दे सकेगा । यदि लीजग्रहिता द्वारा ऐसा किया जाता है तो वह करारनामे का गंभीर उल्लंघन माना जायेगा।

19. प्रसंस्करण केन्द्र का बीमा एवं प्रभार आदि–

(i) लीजग्रहीता को प्रसंस्करण केन्द्र के भवन, मशीनों आदि का बीमा उनके तत्समय के मूल्य पर जिला यूनियन जबलपुर के पक्ष में करार अवधि की अंतिम तिथि से तीन माह आगे तक की अवधि के लिये कराया जाकर संबंधित बीमा पालिसी की मूल प्रति प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में प्रसंस्करण केन्द्र का प्रभार लेने के पूर्व जमा करनी होगी।

(ii) लीजग्रहीता द्वारा प्रथम किश्त/किश्तों के भुगतान एवं प्रसंस्करण केन्द्र के भवन, मशीनों आदि का बीमा कराने के उपरान्त ही प्रबंध संचालक जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा लीजग्रहीता को प्रसंस्करण केन्द्र का प्रभार दिया जायेगा।

20 कच्चा माल, अस्थाई/स्थाई निर्माण, नई मशीन की स्थापना आदि –

प्रसंस्करण केन्द्र में कच्चे माल की व्यवस्था, अस्थाई/स्थाई निर्माण तथा नई मशीनों की स्थापना एवं उस कारण देय मासिक लीज रेंट में वृद्धि आदि के संबंध में प्रावधान परिशिष्ट 5 में दिये गये लीजग्रहीता करारनामें में दर्शाये गये हैं । निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निविदा भरने के पूर्व इसका अध्ययन कर लें ।

21. परिसर, मशीन, उपकरण इत्यादि के रख–रखाव की लीजग्रहिता की जिम्मेदारी–

लीज पर प्रदत्त परिसर, भवन, मशीन, उपकरण, बिजली एवं जल व्यवस्था इत्यादि के रखरखाव की जवाबदारी लीजग्रहिता पर होगी । लीजग्रहिता का यह भी दायित्व होगा कि वह भवन एवं परिसर उसी स्थिति में लीजदाता को लीज समाप्ति या उसके पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, वापस लौटायेगा । यदि भवन/परिसर में कोई क्षति पहुंचती है तो उसे सुधारने में जो भी राशि व्यय होगी, वह लीजग्रहिता द्वारा ही देय होगी । मांगे जाने पर यदि यह राशि लीजग्रहिता द्वारा नहीं दी जाती है, तो वह भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी ।

22. दुर्घटना के कारण क्षतिपूर्ति की लीजग्रहिता की जिम्मेदारी–

प्रसंस्करण केन्द्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने के कारण हुई कोई भी जनहानि या व्यक्तियों के घायल होने की व्यवस्था में देय मुआवजा क्लेम, क्षतिपूर्ति या अन्य किसी

वैधानिक देय राशि आदि के भुगतान करने की जवाबदारी पूर्ण रूप से लीजग्रहिता की होगा ।

23. अधिनियम, नियमावली और शर्तो का उल्लंघन तथा करारनामे की समाप्ति–

यदि लीजग्रहीता किसी अधिनियम, नियमावली और/अथवा लीजग्रहीता करारनामे की किन्ही शर्तो का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके करारनामे को प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा समाप्त किया जाता है, तो

(i) नियुक्त लीज ग्रहीता को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
(ii) तत्काल प्रभाव से प्रसंस्करण केन्द्र को खाली करना होगा।
(iii) नियुक्त लीजग्रहीता द्वारा जमा किया गया लीज रेंट वापस नहीं होगा।
(iv) नियुक्त लीज ग्रहीता द्वारा जमा किया गया प्रतिभूति निक्षेप जिला यूनियन के पक्ष में राजसात हो जावेगा।
(v) यदि भवन/इससे संबद्ध संपत्ति को नियुक्त लीज ग्रहीता के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है तो इसकी मरम्मत व अन्य भरपाई लीजग्रहीता द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किये जाने पर भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर की जावेगी।

24. शास्तियां–

यदि निविदा या लीजग्रहीता के करारनामे की शर्तो आदि के उल्लंघन के कारण करारनामा समाप्त नहीं करना प्रस्तावित है तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक उल्लंघन के लिये ऐसी शास्ति जो रू.1000/– (रू. एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेंगे। इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील प्रबंध संचालक, राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल को की जा सकेगी, जिनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।

25. निबंधनों एवं शर्तो का स्वीकार करना–

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तो एवं निबंधनों /नियमों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

26. अधिनियमों के प्रावधान का लागू होना–

वन अधिनियम वनोपज अधिनियम तथा इन अधिनियमों की नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रवधान जहां तक कि वे लीजग्रहीता के ऊपर लागू होते हैं, निविदा सूचना एवं लीज रेंट करारनामे के निबंधनों तथा शर्तो के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे।

प्रबंध संचालक

जबलपुर के पास मनेरी में स्थापित ''लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र'' का विवरण

1. पावर कनेक्शन – 56 एच.पी.
2. वाटर कनेक्शन –1000 लीटर प्रति घंटा
3. प्लाट एरिया – 0.60 हेक्टेयर
4. प्रसंस्करण केन्द्र एरिया – 310 वर्ग मीटर
5. स्थापित मशीनरी का नाम –
   1. ब्लेन्चर 2500 लीटर
   2. बेल फ्रूट पल्पर
   3. बेल फ्रूट फिनीशर
   4. स्टीम जेकेट मिक्सर
   5. हेलिकॉन ट्रान्सफर पम्प
   6. र्स्पाकल फिल्टर
   7. स्टोरेज टेन्क – 5000 लीटर
   8. फिलिंग मशीन
   9. पैकिंग कन्व्हेयर
   10. श्रिंक रेपिंग मशीन
   11. एक्सपेलर
   12. बायलर (लकडी से चलित)

नोटः– इच्छुक निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा देने के पूर्व उक्त प्रसंस्करण में स्थापित मशीनरी तथा उपलब्ध अन्य सुविधाओं का स्वयं अवलोकन कर लें।

प्रसंस्करण केन्द्र जबलपुर के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु

तकनीकी निविदा

प्रति,

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी यूनियन,
एल्गिन अस्पताल के सामने, स्टेशन रोड,
जबलपुर

निविदा अधिूसचना क्र./......./...... / 2012 दिनांक ...../2012 के संदर्भ में जबलपुर के पास मनेरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु मेरी/हमारी तकनीकी निविदा निम्नानुसार हैः–

1. निविदाकार/संस्था का पूरा नाम : ....

2. निविदावार/संस्था के मालिक/प्रबन्धक की शैक्षणिक योग्यता : ....
(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

3. पत्र व्यवहार का पता : ....
(दूरभाष तथा व्यापारिक संस्था स्थल)

4. प्रोपराईटर/भागीदार/प्रबंधक के नाम व
दूरभाष सहित पता

प्रोपराईटर	भागीदार	प्रबंधक

5. क्या निविदाकार संस्था प्रोपराईटरशिप, : ....
भागीदार संस्था अथवा लिमिटेड कंपनी है?
(पार्टनरशिप डीड कम्पनी की पॉवर ऑफ अटार्नी की एक प्रति संलग्न करें)

6. यदि भागीदार फर्म अथवा लिमिटेड कंपनी : ....
है तो पंजीयन क्र. एवं पंजीयन स्थल का
विवरण भरें

7. वर्तमान व्यापार/व्यवसाय का विवरण : ....

8. लघु वनोपज प्रसंस्करण/आयुर्वेदिक दवाओं/ : ....
फार्मास्युटिकल उत्पादों के उत्पादन का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

9. वर्तमान व्यापार का वार्षिक टर्नओवर : ....

10. वर्तमान प्रसंस्करण केन्द्र फैक्टरी आदि के स्थान, क्षमता आदि का विवरण : ....

11. वर्तमान में निविदाकार के द्वारा स्वयं बनाये जा रहे/विपणन किये जा रहे हर्बल उत्पादों का विवरण : ....

:

अनुक्रमांक	उत्पादों का नाम	वार्षिक टर्न ओवर	कब से व्यापार कर रहे हैं

12. सहभागी व्यापारिक कंपनी/उद्यम का विवरण : --

13- ड्रग लायसेंस यदि है तो, क्रमांक एवं वैधता दिनांक : ....
(खुदरा अथवा थोक व अन्य)

14. बिक्री कर पंजीयन क्रमांक : ....
(वेट/टिन विवरण के साथ स्थानीय/केन्द्रीय बिक्री कर विवरण)

15. सत्यंकार राशि का विवरण
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्र. .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....

<u>सत्यंकार राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक तकनीकी निविदा आफर के लिफ़ाफे में रखें ।</u>

निविदाकार के हस्ताक्षर
(नाम प्रोपराईटर/भागीदार)

रबर स्टाम्प

परिशिष्ट III

प्रसंस्करण केन्द्र जबलपुर के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु
निविदाकार का करारनामा

1. मैं (नाम) .... आत्मज .... एतद् द्वारा कथन करता हूं कि मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा सभी शर्तें मान्य हैं ।

2. मैं (नाम) .... आत्मज .... एतद् द्वारा बैंक ड्राफ्ट नं. .... दिनांक .... राशि रू. ....जो कि प्रबंध संचालक, जिला वनोपज यूनियन के नाम से जबलपुर में देय है, जमा करता हूं ।

3. मेरे द्वारा करारनामा तथा निविदा के शर्तों के उल्लंघन अथवा पालन नहीं होने की दशा में प्रबंध संचालक, जिला वनोपज यूनियन जबलपुर के द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार जो भी दण्ड दिया जायेगा, मैं उसका प्रतिभागी होउंगा ।

दिनांक ....

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....
दूरभाष क्रमांक ....

साक्षी

हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी यूनियन
जबलपुर

हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....
....

प्रसंस्करण केन्द्र जबलपुर के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु

वित्तीय निविदा

1. प्रथम वर्ष हेतु प्रस्तावित मासिक लीज रेंट रू..(शब्दों में).. (अन्य सभी कर जो कि सफल .... निविदाकार के द्वारा देय रहेंगे को छोड़कर)

दिनांक______________________

निविदाकार के हस्ताक्षर
(नाम प्रोपराईटर/भागीदार)

रबर स्टाम्प

प्रसंस्करण केन्द्र मनेरी के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु

प्रपत्र

लीज ग्रहीता का करारनामा

यह करारनामा आज दिनांक .... माह .... वर्ष .... को प्रथम पक्ष वनमंडलाधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जबलपुर (जो इसके पश्चात प्रथम पक्ष के नाम से निर्दिष्ट है) हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी, सम्मिलित–होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री .... आत्मज .... निवासी .... और जो (1) श्री .... (2) श्री .... (3) श्री ....के साथ ....स्थित कंपनी, जिसका नाम .... है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7–1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है, के साथ भागीदारी अथवा एकल मालिक के रूप में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात जबलपुर के पास मनेरी औद्योगिक केन्द्र में स्थित लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र के लीज ग्रहीता या द्वितीय पक्ष के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है। (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो।)

इस प्रसंस्करण केन्द्र को लीज रेंट आधार पर संचालन करने के लिए प्रथम पक्ष द्वारा लघु वनोपज प्रसंस्करणकर्ताओं, आयुर्वेदिक दवाओं/फर्मास्युटिकल उत्पादों के उत्पादकों आदि से अपनी निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा निविदायें आमंत्रित की गई थी, और प्रथम पक्ष द्वारा इच्छुक लीज ग्रहीता के द्वारा प्रसंस्करण केन्द्र मनेरी और जिसको कथित निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक ....के परिशिष्ट 1 में पूर्णतया वर्णित किया गया है, के लिए प्रस्तावित की गई लीज रेंट दर इसमें इसके पश्चात दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तो पर स्वीकार की गई है और वह उसे इस कथित प्रसंस्करण केन्द्र के लिए .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लीज ग्रहीता नियुक्त करने के लिए सहमत हो गया है।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं:–

01. लीज़ रेंट दर आदि एवं भुगतान –

(i) द्वितीय पक्ष प्रसंस्करण केन्द्र को करारनामे के प्रथम वर्ष में रूपये .... (अंको में) .... (शब्दों में) .... प्रति माह की लीज रेंट दर से संचालित करेगा। प्रथम वर्ष की समाप्ति के उपरांत द्वितीय वर्ष हेतु इस लीज रेंट की राशि में 20 (बीस) प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी । तथा द्वितीय वर्ष में इस प्रकार बढ़ी हुई राशि लीज रेंट के रूप में प्रति माह देय होगी । दूसरे वर्ष की समाप्ति पर तीसरे वर्ष हेतु द्वितीय वर्ष के लीज रेंट की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी एवं इस प्रकार बढ़ी हुई लीज रेंट की राशि की वसूली निविदाकार से तीसरे वर्ष में प्रति माह की जावेगी । रूपये के भाग को आगे के पूर्णांक के बराबर किया जावेगा। तदनुसार करारनामा अवधि के विभिन्न वर्षों में लीज रेंट की दर निम्नानुसार होगी :–

अनुक्रमांक	अवधि कब से कब तक	मासिक लीज रेंट की दर (राशि रू. में)

(ii) समय समय पर द्वितीय पक्ष करार अवधि में देय लीज रेंट का भुगतान करारनामे के प्रावधानानुसार, प्रत्येक माह अग्रिम रूप से संबंधित माह की 10 तारीख के पूर्व करेगा ।

(iii) द्वितीय पक्ष के लिखित अनुरोध पर, इस प्रकार समयावधि में वृद्धि किये जाने पर, द्वितीय पक्ष को प्रत्येक बढ़े हुये दिन हेतु बकाया लीज रेंट का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज अदा करना होगा ।

(iv) यदि द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी समय 6 या उससे अधिक माहों के लीज रेन्ट का समस्त देय करों सहित अधिक भुगतान किया जाता है तो संपूर्ण लीज रेंट की राशि पर 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी ।

02. अस्थाई/स्थाई निर्माण, नई मशीन की स्थापना आदि होने पर लीज रेंट में वृद्धि –

भविष्य में द्वितीय पक्ष की मांग पर ओर उससे ही प्रथम पक्ष द्वारा सहमत होने पर, जो अनिवार्य नही है, कोई अतिरिक्त मशीन/उपकरण की स्थापना या भवन निर्माण होने पर

वास्तिवक व्यय की 20 प्रतिशत राशि को अगले 1000 रूपये तक राउंड आफ करते हुये उसके 12वें भाग को कार्य पूर्ण होने की माह से तत्समय प्रवृत्त मासिक लीज रेंट की राशि में जोड़ा जावेगा। तदुपरान्त द्वितीय पक्ष को इस प्रकार परिगणित मासिक लीज रेंट की राशि संबंधित वर्ष में देना होगी। तब इस प्रकार नई परिगणित लीज रेंट की दर में इस करारनामे के प्रावधान 1(I) के अनुसार वृद्वि की जा सकेगी जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया जावेगा—

अं. कं.	परिर्वतित लीज दर			अवधि कब से कब तक	नई परिगणित मासिक लीज रेंट की दर (राशि रू. में)
	नई मशीन/ भवन निर्माण होने के कारण अतिरिक्त लीज दर	तत्समय प्रचलित लीज दर	नई लीज दर (कालम 2+3)		

03. **करों का भुगतान—**

(i) इस करार के अधीन प्रथम पक्ष को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए।

(ii) द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश विक्रय कर अधिनियम, उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार विक्रय कर/वाणिज्यिक कर तथा वन विकास उपकर एवं अन्य करों का भुगतान बैंक/डिमांड ड्राफ्ट जो प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन के पक्ष में जबलपुर में देय हो, से करेगा।

(iii) द्वितीय पक्ष, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन जबलपुर के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट के रूप में करेगा। यथा स्थिति देय लीज रेंट प्रति माह या उसके भाग या अधिक का तब तक भुगतान नहीं माना जायेगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

04. **विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड के अन्तर्गत उत्पादन की स्थिति में —**

(i) यदि द्वितीय पक्ष अपना प्रसंस्कृत उत्पाद विन्ध्य हर्बल्स'' ब्रांड के अन्तर्गत विक्रय करना चाहता है तब उसके लिखित आवेदन पर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ऐसी शर्तो पर द्वितीय पक्ष को उसकी अनुमति दे सकेंगे जो कि उनके द्वारा निर्धारित की जावेगी।

(ii) ऐसा होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड के अन्तर्गत विक्रय की जाने वाली सामग्री के थोक मुल्य (डीलर प्राईस) के 2 प्रतिशत के बराबर की राशि का

भुगतान मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ को अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

05. घाटे में चलने की स्थिति में दायित्व –

घाटे में संयंत्र के चलने की स्थिति में अथवा द्वितीय पक्ष के प्रबंधकीय अथवा अन्य कारणों से संयंत्र बंद रहने की स्थिति में संघ अथवा जिला यूनियन की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

06. लीज पर प्रदत परिसर भवन, मशीन, उपकरण, बिजली एवं जल व्यवस्था आदि के रख–रखाव की जिम्मेदारी –

(i) लीज पर प्रदत्त परिसर, भवन, मशीन, उपकरण, बिजली एवं जल व्यवस्था इत्यादि के रखरखाव की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी । द्वितीयपक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह भवन एवं परिसर उसी स्थिति में प्रथमपक्ष को लीज समाप्ति या उसके पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, वापस लौटायेगा । यदि भवन/परिसर में कोई क्षति पहुंचती है तो उसे सुधारने में जो भी राशि व्यय होगी, वह द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगी । मांगे जाने पर यदि यह राशि द्वितीय पक्ष द्वारा नहीं दी जाती है, तो वह भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी ।

(ii) द्वितीय पक्ष समय–समय पर विद्युत, जल, नगर निगम हेतु देय राशि अन्य कोई भी लागू कर/उपकर भी अदा करेगा ।

(iii) द्वितीय पक्ष को केन्द्र के पानी, बिजली आदि के बिलों का भुगतान उस तिथि से करार अवधि तक करना होगा जब से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रसंस्करण केन्द्र को संचालन हेतु लिया गया है ।

(iv) द्वितीय पक्ष को प्रसंस्करण केन्द्र की साफ–सफाई एवं छोटे मरम्मत कार्यों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । केवल बड़े मरम्मत कार्य एवं आवश्यक होने पर पुताई आदि कार्य संबंधित जिला वनोपज सहकारी यूनियन द्वारा कराये जावेंगे ।

(v) द्वितीय पक्ष संबंधित प्रसंस्करण केन्द्र को उसी अवस्था में प्रथम पक्ष को वापस करेगा जिस अवस्था में उसे निविदा करारनामा प्रारंभ होने पर दिया गया था।

(vi) विद्युत, जल अथवा अन्य कोई अन्य प्रभार का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा। द्वितीय पक्ष के भुगतान न करने की दशा में यह देय राशि प्रतिभूति जमा राशि से काटकर जमा की जावेगी। ऐसी कटौती की गई राशि की प्रतिपूर्ति द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह के भीतर की जावेगी।

07. कच्चे माल की प्राप्ति, प्रसंस्करण आदि :–

(i) संयंत्र मे कच्चे माल की आपूर्ति हेतु प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित कच्चे माल को प्राथमिकता दी जावेगी। कच्चा माल प्राथमिक वनोपज सहकारी

समितियों के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से भी द्वितीय पक्ष द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

(ii) प्राथमिक वनोपज समितियों से द्वितीय पक्ष द्वारा कच्चा माल क्रय करने हेतु प्रतिवर्ष दरें मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक, जबलपुर द्वारा निर्धारित की जायेंगी। माल उठाने के पूर्व उसके मूल्य का भुगतान समिति/संग्राहकों को द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा।

(iii) द्वितीय पक्ष द्वारा संबंधित प्रसंस्करण केन्द्र में केवल लघु वनोपजों का प्रसंस्करण कर उत्पादों का निर्माण किया जावेगा । अन्य उपजों का प्रसंस्करण इस केन्द्र में करने के पूर्व ऐसे उत्पादों की सूची का अनुमोदन प्रबंध संचालक जिला यूनियन से कराना होगा। ऐसा न करना इस निविदा एवं अनुबंध का गंभीर उल्लंघन माना जावेगा।

08. संघ या जिला यूनियन की मांग पर प्रस्संकृत सामग्री प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करना :–

प्रबंध संचालक संघ या प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा प्रस्संकृत सामग्री की मांग किये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा उसे प्राथमिकता के आधार पर उस मूल्य पर प्रबंध संचालक जिला यूनियन जबलपुर को प्रदान की जावेगी जिस मूल्य पर द्वितीय पक्ष संबंधित सामग्री को अपने थोक विक्रता (डीलर) को प्रदान करता है।

09. वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करना :–

(i) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रसंस्करण केन्द्र के संचालन के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य शासन या स्थानीय निकायों के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन करना होगा जैसे खाद्य सामग्री/दवा निर्माण हेतु लायसेंस, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से लायसेंस/स्वीकृति प्राप्त करना, सामग्री उपयोग की अंतिम तिथि, अधिमान्य लेखे एवं अभिलेख, साफ–सफाई, करों का भुगतान, कर्मचारियों/श्रमिकों हेतु विभिन्न अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत सुविधाएँ प्रदान करना, सी.पी.एफ/ई. पी.एफ. जमा करना, साप्ताहिक अवकाश की सुविधा देना, उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक आदि का भुगतान करना आदि।

(ii) द्वितीय पक्ष एक स्वतंत्र इकाई होगा । अतः प्रसंस्करण केन्द्र के स्टाफ तथा श्रमिकों आदि के वेतन/परिश्रमिक, देय शुल्क व कर के भुगतान का दायित्व केवल द्वितीय पक्ष का ही रहेगा।

(iii) द्वितीय पक्ष को प्रसंस्करण केन्द्र संचालन के लिये बिक्री कर पंजीयन/शासन से लाइसेन्स अथवा अन्य कोई अनुमति यदि लागू हो, प्राप्त करनी होगी। वनोपज यूनियन इसके लिये कोई दायित्व या व्यय का वहन नहीं करेगी । यह दायित्व पूर्ण रूप से द्वितीय पक्ष का होगा।

(iv) द्वितीय पक्ष उत्पादों/सेवाओं/निर्माण प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का रखरखाव पूर्ण सजगता से करेगा। यदि किसी भी समय यह सूचना प्राप्त होती है कि उत्पाद/सामग्री/प्रक्रियायें जो की जा रही हैं, वे मिथ्या एवं अवैध है और मानकों से नीचे हैं तो यह निविदा की शर्तो का गंभीर उल्लंघन माना जावेगा।

10. प्रसंस्करण केन्द्र में चल या अचल सम्पत्तियों को रखना या निर्माण करना –

(i) द्वितीय पक्ष यदि चाहे तो किसी भी प्रकार की चल संपत्ति जो कि प्रसंस्करण केन्द्र के सुचारू कार्य संपादन हेतु सहायक हो, रख सकेगा । निविदा करार समाप्त होने पर इस प्रकार रखी गई चल संपत्ति को प्रसंस्करण केन्द्र के भवन को बिना नुकसान पहुंचाए वापस ले जा सकेगा । यदि कोई भी चल संपत्ति संजीवनी केन्द्र के भवन से जोड़कर लगाई (फिक्स) गई हों और उसे निकालने में भवन की इमारत में कोई मरम्मत की आवश्यकता होती है तो द्वितीय पक्ष को ऐसी मरम्मत करानी होगी । यदि यह मरम्मत कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा नहीं किया जाता है तब इसे संबंधित जिला वनोपज सहकारी यूनियन द्वारा कराया जाकर उसकी राशि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप की राशि से काट ली जावेगी।

(ii) द्वितीय पक्ष को अपने व्यय पर यदि आवश्यक हो तो, सभी सुविधाएं (जैसे कुर्सी, बेंच, पेयजल व्यवस्था इत्यादि) विकसित कर जुटानी होंगी।

11. प्रसंस्करण केन्द्र का संचालन :

(i) लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिये प्रसंस्करण केन्द्र का केवल मौजूदा आच्छादित एवं खुला स्थान उपलब्ध रहेगा।

(ii) केवल निविदा सूचना की शर्त क्रमांक–17 के अतिरिक्त लीजग्रहिता परिसर और/अथवा भवन को किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति या फर्म या विधिक संस्थान को कार्य करने अथवा उपयोग करने हेतु सब लीज पर या अन्यथा नहीं दे सकेगा । यदि लीजग्रहिता द्वारा ऐसा किया जाता है तो वह करारनामे का गंभीर उल्लंघन माना जायेगा ।

12. दुर्घटना के कारण क्षतिपूर्ति की लीजग्रहिता की जिम्मेदारी

प्रसंस्करण केन्द्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने के कारण हुई कोई भी जनहानि या व्यक्तियों के घायल होने की व्यवस्था में देय मुआवजा क्लेम, क्षतिपूर्ति या अन्य किसी वैधानिक देय राशि आदि के भुगतान करने की जवाबदारी पूर्ण रूप से लीजग्रहिता की होगा ।

13. लेखा संधारण एवं परीक्षण :

द्वितीय पक्ष द्वारा उपयोग किये गये कच्चे माल एवं प्रसंस्कृत उत्पाद की मात्रा की जानकारी प्रत्येक छः माह में प्रथम पक्ष को दी जायेगी। (प्रत्येक वर्ष के जून एवं दिसंबर माह में)

14. अवैध गतिविधियाँ होने पर कार्यवाही :

द्वितीय पक्ष प्रसंस्करण केन्द्र परिसर के अन्दर किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्ष या उसके किसी कर्मचारी को जिला यूनियन/संघ/शासन द्वारा शालीनता/सदाचार के विरूद्ध किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो प्रथम पक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि एक सप्ताह के नोटिस जारी करने के उपरान्त करारनामा निरस्त कर सके।

15. कार्य न करने की स्थिति में :

(i) द्वितीय पक्ष प्रसस्करण केन्द्र पर उपलब्ध रहने वाले व्यक्तियों या अमले के नाम प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराएगा। द्वितीय पक्ष सामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन को छोड़कर अन्य दिनों में जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन उपरान्त ही प्रसंस्करण केन्द्र को बन्द रख सकेगा। लगातार एक माह तक अनुमति प्राप्त किये बिना प्रसंस्करण केन्द्र के बंद होने की दशा में जिला यूनियन के प्रबंध संचालक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर प्रसंस्करण केन्द्र के परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा दो साक्षियों की उपस्थिति में केन्द्र में विद्यमान सामान की सूची तैयार की जावेगी। प्रथम पक्ष द्वारा इस संबंध में प्रतिभूति निक्षेप के अधिहरण सहित अन्य आगामी कार्यवाही की जा सकेगी जो कि द्वितीय पक्ष के लिये बंधनकारी होगी।

(ii) द्वितीय पक्ष के लिए प्रसस्करण केन्द्र का न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए संचालन किया जाना अनिवार्य है। एक वर्ष की अवधि के पश्चात यदि द्वितीय पक्ष प्रसंस्करण केन्द्र का संचालन नहीं करना चाहता है तो वह न्यूनतम तीन माह का नोटिस देकर करारनामा समाप्त कर सकता है। ऐसा होने पर द्वितीय पक्ष को प्रतिभूति निक्षेप की पूरी या आंशिक राशि, जैसी कि स्थिति हो, प्रथम पक्ष द्वारा वापस की जावेगी।

16. दिवालिया होने की स्थिति में –

द्वितीय पक्ष के दिवालिया घोषित होने की स्थिति में –

(i) द्वितीय पक्ष को पांच वर्ष तक की कालावधि के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

(ii) प्रसंस्करण केन्द्र में संग्रहित कच्चे माल, निर्माण के दौरान उपयोग में आने वाली अन्य सामग्री जैसे पेकेजिंग मेटेरियल इत्यादि एवं तैयार सामग्री को प्रथम पक्ष के पक्ष में राजसात किया जावेगा तथा द्वितीय पक्ष का इन पर कोई अधिकार नही होगा।

(iii) तत्काल प्रभाव से द्वितीय पक्ष का प्रसंस्करण केन्द्र के परिसर में प्रवेश निषिद्व रहेगा।

(iv) द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया गया लीज रेंट वापस नहीं होगा।

(v) द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया गया प्रतिभूति निक्षेप राजसात किया जावेगा।

(vi) यदि भवन/इससे संबद्ध संपत्ति को द्वितीय पक्ष के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है तो इसकी मरम्मत व अन्य भरपाई की राशि नोटिस दिये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा जमा नहीं करने पर भू–राजस्व संहिता के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

17. शास्तियां –

यदि द्वितीय पक्ष करार की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है और यदि ऐसे उल्लंघन के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो –

(i) जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक उल्लंघन के लिये ऐसी शास्ति जो रू. 1000/– (रू. एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेंगे।

(ii) इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल को की जा सकेगी, जिनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।

18. करारनामा समाप्ति –

यदि द्वितीय पक्ष द्वारा किसी अधिनियम, नियमावली अथवा लीजग्रहीता करारनामे की किसी/किन्ही शर्तो का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप उसके करारनामें को प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त किया जाता है, तो

(i) द्वितीय पक्ष को पांच वर्ष तक की कालावधि के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

(ii) प्रसंस्करण केन्द्र में संग्रहित कच्चे माल, निर्माण के दौरान उपयोग में आने वाली अन्य सामग्री जैसे पेकेजिंग मेटेरियल इत्यादि एवं तैयार सामग्री को प्रथम पक्ष के पक्ष में राजसात किया जावेगा तथा द्वितीय पक्ष का इन पर कोई अधिकार नही होगा।

(iii) तत्काल प्रभाव से द्वितीय पक्ष का प्रसंस्करण केन्द्र के परिसर में प्रवेश निषिद्व रहेगा।

(iv) द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया गया लीज रेंट वापस नहीं होगा।

(v) द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया गया प्रतिभूति निक्षेप राजसात किया जावेगा।

(vi) यदि भवन/इससे संबद्ध संपत्ति को द्वितीय पक्ष के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है तो इसकी मरम्मत व अन्य भरपाई की राशि नोटिस दिये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा जमा नहीं करने पर भू–राजस्व संहिता के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

19. स्टाम्प शुल्क का भुगतान–

मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर द्वितीय पक्ष पालन करने के लिये प्रतिबद्ध होगा।

20. न्यायालय की अधिकारिता—

इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, मध्यप्रदेश स्थित सक्षम न्यायालयो की अधिकारिता के अध्यधीन होगा।

जिसके साक्ष्य में, इसमें ऊपर लिखित दिनांक को प्रथम पक्ष ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और ऊपर नामित द्वितीय पक्ष ने अपने/उनके हस्ताक्षर किये हैं।

करारनामा पर निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया।

साक्षीगणः—

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से एवं की ओर से

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

प्रथम पक्ष—वनमंडलाधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जबलपुर

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ऊपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः—

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
नाम —.................................
डाक का पता